९.७.१९	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी द्वारा अहम प्रार्थना पत्र सुनी गई । प्रार्थना पत्र मे संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की आराजियात मौजा सांडियारडा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील कपासन के हल्के वेदनी मे स्थित खाता संख्या 21 मे किता 22 कुल रकबा 10.64 हे० मे प्रार्थी का 2/3 हक हिस्सा निहित है । उक्त भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के बीच	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(दीपक गांधी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी प्रशासन
कपासन, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। राजस्व रेकार्ड मे खाता संयुक्त होने से खातेदारों में अनबन व सीमा का विवाद रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खसरे भारत की आबादी मात्र के अनाधिकृत रूप के बिना बटवारे के बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया। बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने के एक तरफा कार्यवाही पूर्व में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 को राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन नहीं करने बाबत प्रार्थी की ओर से पैरवल पत्र बनाया गया मुख्य वाद अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध चाहने के एक तरफा कार्यवाही होने के पत्रावली मे बहस एक तरफा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा खेड़ियाल्या प० ह० कामलेगा तहसील कपासन की आराजी 428, 429 430, 431, 432, 433, 434, 442, 443, 766, 767, 768, 769, 790, 791, 792 793, 794, 795, 796, 797, 1214/792 कुल किता 22 कुल रकबा 16.84 है० मे विधिवत विभाजन होने तक अप्रार्थी संख्या 1 किसी विशेष आराजी का बेचान नहीं करे। अप्रार्थी को अपने हिस्से तक बेचान पर कोई रोक नहीं है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।

(अ...) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner